रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 7, 2019/पौष 17, 1940
No. 76] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 7, 2019/PAUSHA 17, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2018

का.आ. 80(अ).—निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा हड्डियों के चूर्ण, ओसीन और जिलेटिन के निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियमावली, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का नाम हड्डियों के चूर्ण, ओसीन और जिलेटिन के निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियमावली, 2018 होगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. हड्डियों के चूर्ण, ओसीन और जिलेटिन के निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियमावली, 2012, के नियम 7 उप नियम (2) के पश्चात में निम्नलिखित उप नियम अन्तर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:-

(3) प्रसंस्करणकर्ता या निर्यातक द्वारा संबद्ध निर्यात निरीक्षण अभिकरण को अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति निर्यातक या प्रसंस्करणकर्ता फीस का भुगतान किया जाएगा ।

टिप्पणी - निर्यातक या प्रसंकरणकर्ता द्वारा प्रति प्रेषित माल की मानीटरिंग फीस एवं सेवा कर की राशि, जो लागू हो, निकटतम रुपए तक पूर्णांकित करके भुगतान किया जाएगा, इस प्रयोजन के लिए, जहां ऐसी राशि का भाग पैसे में हो, तब, यदि वह भाग पचास पैसे या अधिक है तो उसे बढ़ा कर एक रुपए कर दिया जाएगा और यदि प्रत्येक भाग पचास पैसे से कम है तो, उसे गणना में नहीं लिया जाएगा।

[फा. सं. 16012/43/2017–निर्यात निरीक्षण]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के असाधारण राजपत्र में का.आ. 726 (अ) दिनांक 03 अप्रैल 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2018

S.O. 80(E).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Crushed Bones, Ossein and Gelatine (Quality Control and Inspection and Monitoring) Rules, 2012, namely :—

1. (1) These rules shall be called the Export of Crushed Bones, Ossein and Gelatine (Quality Control and Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Crushed Bones, Ossein and Gelatine (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2012, in rule 7 after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

(3) Fees shall be paid by the processor or the exporter to the concerned Export Inspection Agency with a maximum of Rs.25 lakhs per annum per exporter or processor.

Note : The amount of monitoring fee and service tax(s), as applicable, for each consignment paid by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose, where such amount contains a part of a rupee consisting of paise, then, if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if each part is less than fifty paise, it shall be ignored."

[F. No. 16012/43/2017-Export Inspection]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note : The Principal Rules were published in Gazette of India Extraordinary; *vide* S.O. 726(E) dated the 03rd April, 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2018

का.आ. 81(अ).—निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा ताजा कुक्कुट मांस और कुक्कुट मांस उत्पादों का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियमावली, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का नाम ताजा कुक्कुट मांस और कुक्कुट मांस उत्पादों का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियमावली, 2018 होगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. ताजा कुक्कुट मांस और कुक्कुट मांस उत्पादों का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियमावली, 2002 के नियम 6 के उप नियम (2), के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) प्रसंस्करणकर्ता या निर्यातक द्वारा संबद्ध निर्यात निरीक्षण अभिकरण को पोत पर्यन्त नि: शुल्क (एफ.ओ.बी.) मूल्य के 0.20% एवं कर (रों) की दर, जो लागू हो, से अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति निर्यातक या प्रसंस्करणकर्ता मानीटरिंग फीस का भुगतान किया जाएगा।"

टिप्पणी : निर्यातक द्वारा प्रति प्रेषित माल की मानीटरिंग फीस एवं सेवा कर की राशि, जो लागू हो, निकटतम रुपए तक पूर्णांकित करके भुगतान किया जाएगा, इस प्रयोजन के लिए, जहां ऐसी राशि का भाग पैसे में हो, तब, यदि वह भाग पचास पैसे या अधिक है तो उसे बढ़ा कर एक रुपए कर दिया जाएगा और यदि प्रत्येक भाग पचास पैसे से कम है तो, उसे गणना में नहीं लिया जाएगा।

[फा. सं. 16012/43/2017 – निर्यात निरीक्षण]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के असाधारण राजपत्र में का.आ. 1378 दिनांक 30 दिसम्बर, 2002 द्वारा और पश्चात्वर्ती संशोधन का.आ. 719 दिनांक 25 फरवरी, 2005 एवं का.आ. 1517 दिनांक 16 जून, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2018

S.O. 81(E).—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Fresh Poultry Meat and Poultry Meat Products (Quality Control and Inspection and Monitoring) Rules, 2002, namely: -

1. (1) These rules shall be called the Export of Fresh Poultry Meat and Poultry Meat Products (Quality Control and Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Fresh Poultry Meat and Poultry Meat Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2002, for sub-rule (2) of rule 6, the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(2). A monitoring fee at the rate of 0.20% of free on board (F.O.B) value and tax(s), as applicable, shall be paid by the processor or the exporter to the concerned Export Inspection Agency with a maximum of Rs.25 lakhs per annum per exporter or processor.

Note : The amount of monitoring fee and service tax(s), as applicable, for each consignment paid by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose, where such amount contains a part of a rupee consisting of paise, then, if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if each part is less than fifty paise, it shall be ignored.".

[F. No. 16012/43/2017 - Export Inspection]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note : The Principal Rules were published in Gazette of India Extraordinary; *vide* S.O. 1378 dated 30th December, 2002 subsequently amended by S.O. 719 dated 25.02.2005 and S.O. 1517 dated 16th June,2008.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.01.08 22:02:44 +05'30'